न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 629 सन 2020 / ऑन लाईन नम्बरः–2020 / 01171
अनवान :–

1. जसवन्त पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योनंदराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. भोमाराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. अर्जुनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नि देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. मनीषा पुत्री देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. गोविन्द पुत्र देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. विधा पुत्री देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. गोतम कुमार पुत्र देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. उमी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. पुष्पा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. चन्दोदेवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. हीरा शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. निर्मला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
14. विमला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
15. सुन्दर पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
16. मैनादेवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 182 / 169 की कुल 4.8050हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 80 / 73 की कुल 13.5570हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण के नाम सें दर्ज है।

जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पत्नी पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 16 एवं पुत्र देवकरण है देवकरण का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पत्नि पुत्र / पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है इसप्रकार जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो जगदीश प्रसाद के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता / बहन / देवकरण की पुत्र / पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई / पुत्र वादी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की वादी भूमि उनके पिता जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया/पत्नि एवं मृतक पुत्र देवकरण के पुत्र/पुत्रीया/पत्नी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 जो वादी की माता/भाई है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 182/169 की कुल 4.8050हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 80/73 की कुल 13.5570हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण के नाम सें दर्ज है।

जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसके पत्नी पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,9 ता 16 एवं पुत्र देवकरण है देवकरण का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिस उसके पत्नि पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है इसप्रकार जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो जगदीश प्रसाद के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता /बहन /देवकरण की पुत्र/पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पुत्र वादी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 182/169 की कुल 4.8050हैक एवं रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

देवासर के खाता संख्या 80/73 की कुल 13.5570हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण के नाम सें दर्ज है।

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी की पत्नि प्रतिवादी संख्या 9 पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 10 ता 16 एवं मृतक पुत्र देवकरण की पत्नी प्रतिवादी संख्या 4 एवं पुत्र/पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 है अर्थात जगदीश प्रसाद की कृषि भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। अतः जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,9 ता 16 जो वादी की माता /बहन ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ,7 ,9 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होनें अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,7, 9 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 182/169 की कुल 4.8050हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 80/73 की कुल 13.5570हैक भूमि जो जगदीश प्रसाद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवीद संख्या 4 ,6 ,8 तीनों बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जसवन्त पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्योनंदराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. भोमाराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. अर्जुनलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. कलावती पत्नि देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. मनीषा पुत्री देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. गोविन्द पुत्र देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. विधा पुत्री देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. गोतम कुमार पुत्र देवकरण जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. उभी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. पुष्पा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. चन्दोदेवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. हीरा शर्मा पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. निर्मला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
14. विमला पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
15. सुन्दर पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
16. मैनादेवी पुत्री जगदीश प्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 629 सन 2020 निर्णय दिनांक– 26/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 182/169 की कुल 4.8050हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 80/73 की कुल 13.5570हैक भूमि जो जगदीश प्रसाद के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवीद संख्या 4 ,6 ,8 तीनों बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)